अध्याय 06

परिवार नियोजन

6.1 पृष्ठभूमि

वर्ष 1952 में शुरू किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। विगत दशकों में कार्यकलाप मौजूदा समग्रतावादी और लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण की ओर उन्मुख हुआ है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के प्रोत्साहन के कार्यकलापों के माध्यम से कार्यक्रम को पुनः परिभाषित किया है।

विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों (एनपीपीः राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000, एनएचपीः राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) में वर्णित परिवार कल्याण संबंधी लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के साथ–साथ भारत सरकार की अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिबद्धता (जैसेकिः अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन– आई.सी.पी.डी., सस्टेनेबल डवलप्मेंट गोल–एस.डी.जी, परिवार नियोजन 2020 और अन्य इत्यादि) को पूरा करने के लिए परिवार नियोजन प्रभाग के उद्देश्यों, कार्यनीतियों एवं कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार की गई है।

समय के साथ कार्यक्रम का देश के हर कोने पर विस्तार किया गया है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप–केंद्रों, और शहरी क्षेत्रों में शहरी परिवार कल्याण केंद्रों और प्रसवोत्तर केंद्रों तक पहुँच चुका है। प्रौद्योगिकी विकास, और स्वास्थ्य परिचर्या ने बेहतर गुणवत्ता और कवरेज के कारण समग्र प्रजनन दर और विकास दर (2011 जनगणना) के कारण दशकीय विकास दर में बहुत अधिक कमी दृष्टिगोचर हुई है।

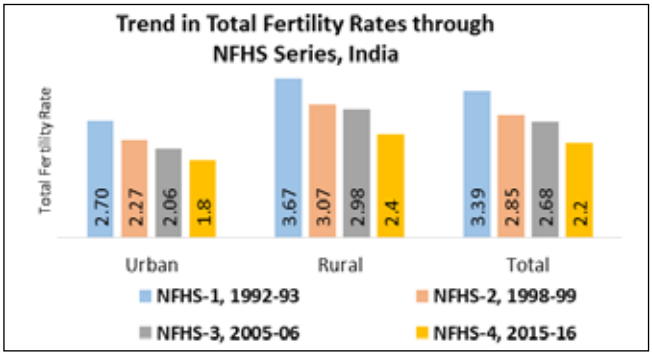

24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रतिस्थापन प्रजनन स्तर पहले ही प्राप्त कर लिया है जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 55% तक है।

उत्तर प्रदेश और उसके बाद नागालैंड में टीएफआर में सबसे अधिक कमी आई है। जिन राज्यों में टीएफआर की स्थिति में कमी आई है नीचे दर्शाये गए हैं:

राज्य	एनएफएचएस III	एनएफएचएस IV	परिवर्तन
उत्तर प्रदेश	3.8	2.7	1.1
नागालैंड	3.7	2.7	1.0
अरुणाचल प्रदेश	3.0	2.1	0.9
मध्य प्रदेश	3.1	2.3	0.8
राजस्थान	3.2	2.4	0.8
सिक्किम	2.0	1.2	0.8
मेघालय	3.8	3.0	0.8
झारखण्ड	3.3	2.6	0.7
बिहार	4.0	3.4	0.6
हरियाणा	2.7	2.1	0.6
मिजोरम	2.9	2.3	0.6
त्रिपुरा	2.2	1.7	0.5
भारत	2.7	2.2	0.5
उत्तराखण्ड	2.6	2.1	0.5
पश्चिम बंगाल	2.3	1.8	0.5
दिल्ली	2.1	1.7	0.4
छत्तीसगढ़	2.6	2.2	0.4
गुजरात	2.4	2.0	0.4
जम्मू व कश्मीर	2.4	2.0	0.4
पंजाब	2.0	1.6	0.4
कर्नाटक	2.1	1.8	0.3
केरल	1.9	1.6	0.3
ओडिशा	2.4	2.1	0.3
महाराष्ट्र	2.1	1.9	0.2
असम	2.4	2.2	0.2
मणिपुर	2.8	2.6	0.2
गोवा	1.8	1.7	0.1
तमिलनाडु	1.8	1.7	0.1

जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक

भारत विश्व के 2.4% भू–भाग के साथ विश्व की 17.5% जनसंख्या को समेटे हुए है।

एनएफएचएम III से एनएफएस IV में देश में किशोर विवाह और किशोर जन्म में काफी गिरावट आई है।

क्र.सं.	मुख्य संकेतक	वर्तमान स्थिति
1	अशोधित जन्म दर	20.4 (एसआरएस 2016)
2	कुल प्रजनन दर	2.2 (एनएफएचएस IV)
3	परिवार नियोजन के लिए अपूर्त आवश्यकता	12.9% (एनएफएचएस IV)
4	गर्भनिरोधक प्रचलन दर	47.8% (एनएफएचएस IV)
5	जन्मों के बीच स्वस्थ अंतराल	51.9% (एसआरएस 2016)
6	किशोर विवाह	26.8% (एनएफएचएस IV)
7	किशोर जन्म	7.9% (एनएफएचएस IV)

आधुनिक गर्भनिरोधकों द्वारा 'मांग पूर्ति'

'मांग पूर्ति' समुदाय में आधुनिक रीतियों द्वारा पूरी की गई आवश्यकता को, निर्दिष्ट करती है (इसमें संगत आधुनिक गर्भनिरोधक और पारंपरिक विधियां तथा आपूर्त गर्भनिरोधकों की आवश्यकता शामिल है। भारत की पूरी की गई मांग एनएफएचएस III में 69.1% से बढ़कर एनएफएचएस IV में 72% रही।

नीचे दिया गया रेखा चित्र राज्य वार मांग पूर्ति और आधुनिक गर्भनिरोधकों का प्रयोग दर्शाता है। 12 राज्यों में 'मांग पूर्ति' 75% से अधिक दर्शायी गई है।

आधुनिक गर्भनिरोधक का प्रचलन

आधुनिक गर्भनिरोधक प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों और कुल एमसीपीआर में अंतराल रीतियों के प्रयोग में सतत वृद्धि पाई गई है।

सीमितता रीतियों में एनएफएचएस–4 के अनुमानों में 2.0% गिरावट देखी गई है। शहरी क्षेत्रों में 2.9% की और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.7% की गिरावट आई है।

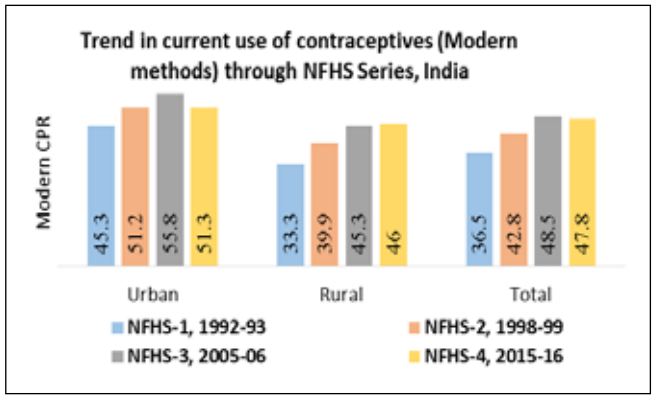

पारम्परिक विधियों में 2.1% की पर्याप्त कमी आई है जिसे परिवार नियोजन सेवाओं की व्यवस्था से जोड़कर देखा जा सकता है। एनएचएफएस–III के आंकड़ों के अनुसार 10.1% प्रयोग न करने वाली महिलाओं ने सूचित किया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने उनसे परिवार नियोजन विधियों के बारे में बात की। यह प्रतिशतता एनएचएफएस–IV में बढ़कर 17.7% हो गई।

12 राज्यों में आधुनिक गर्भनिरोधकों के प्रयोग में वृद्धि दर्ज की है। सबसे अधिक वृद्धि पंजाब में हुई और उसके बाद असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखण्ड रहे।

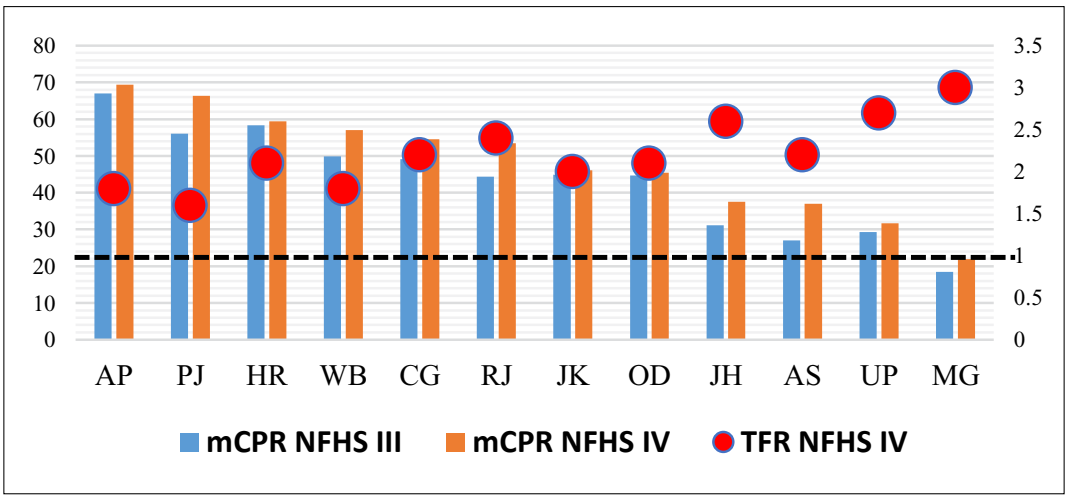

आधुनिक गर्भनिरोधकों द्वारा 'मांग पूर्ति'

'मांग पूर्ति' समुदाय में आधुनिक रीतियों द्वारा पूरी की गई आवश्यकता को, निर्दिष्ट करती है (इसमें संगत आधुनिक गर्भनिरोधक और पारंपरिक विधियां तथा आपूर्त गर्भनिरोधकों की आवश्यकता शामिल है। भारत की पूरी की गई मांग एनएफएचएस III में 69.1% से बढ़कर एनएफएचएस IV में 72% रही।

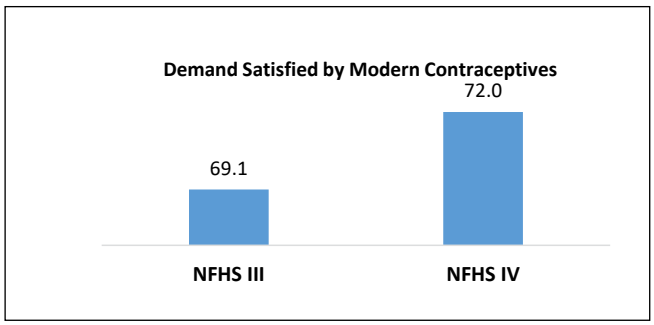

नीचे दिया गया रेखा चित्र राज्य वार मांग पूर्ति और आधुनिक गर्भनिरोधकों का प्रयोग दर्शाता है। 12 राज्यों में 'मांग पूर्ति' 75% से अधिक दर्शायी गई है।

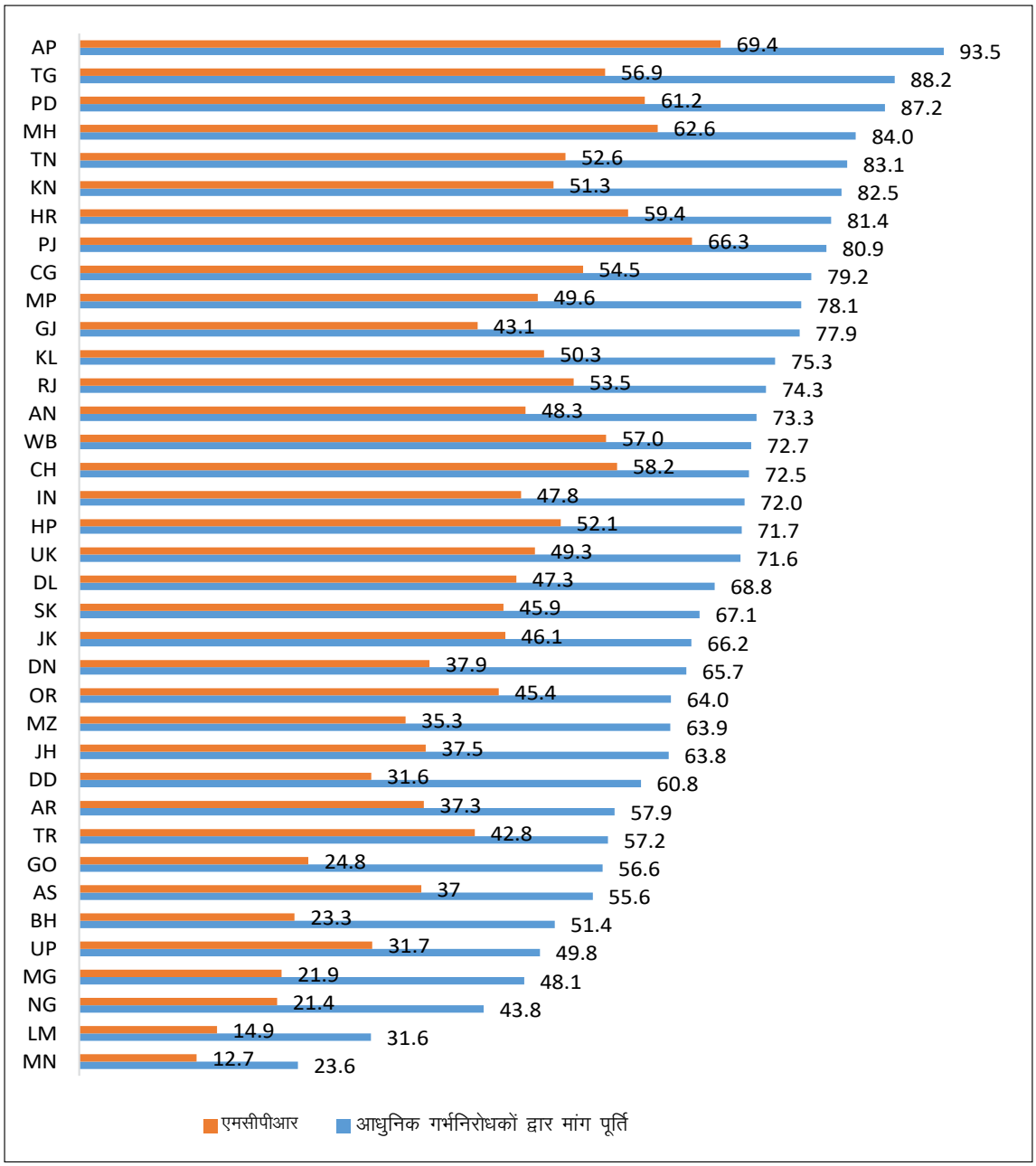

6.2 वर्तमान परिवार नियोजन प्रयास

विगत कुछ वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों में बहुत अंतर आया है। कार्यक्रम में आपूर्त गर्भनिरोधकों की आवश्यकता को पूरा करने और आधुनिक गर्भनिरोधकों के प्रयोग में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो कि देश में मातृत्व और बाल मृत्युदर को कम करने से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है।

पुरुष और महिला दोनों को ऐसे जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए सक्षम किया गया है जो असमय और अवांछित गर्भधारण से बचने और परिवार के वांछित आकार तथा माता और शिशु के स्वास्थ्य संवर्धन की प्राप्ति में सहायक रहें।

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सेवाएं

वर्तमान में परिवार नियोजन रीतियों को मोटे तौर पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

अंतराल रीति और सीमितता/स्थाई रीतियां

क. **अंतराल विधियां:** ये वापस लेने योग्य विधियां हैं जो वैयक्तिक इच्छा के अनुसार अंगीकार और बंद जा सकती है–

क). ओरल कंट्रासप्टिव पिल्स (यौगिक ओरल कंट्रासप्टिव पिल (माला एन), सेंटक्रोमन (छाया)

ख). निरोध

ग). अंतःगर्भ निरोधक युक्तियां (आईयूसीडी 380ए – 10 वर्ष के लिए प्रभावी, आईयूसीडी 375–5 वर्ष के लिए प्रभावी)

घ). कंट्रासेप्टिव इंजेक्टेबल एमपीए (अंतरा कार्यक्रम)

ख. **स्थाई विधि:** इन्हें वापस नहीं लिया जा सकता–

क. महिला बंध्यीकरण

i. मिनीलैप

ii. लैप्रोस्कोपिक

ख. पुरुष बंध्यीकरण

i. पारंपरिक

ii. चीरा रहित नलीबंदी (कोई चीरा नहीं कोई टांका नहीं)

ग. आपातिक गर्भनिरोधक गोलियां (ईसीपी)

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति (स्रोत: एचएमआईएस)

	2018–19 (मार्च 2019 तक)
महिला नलीबंदी	33,14,768
पुरुष नसबंदी	48,241
कुल बंध्यीकरण	33,63,009
अंतराल आईयूसीडी	55,17,384
पीपीआईयूसीडी	22,26,499
इंजेक्टेबल एमपीए	9,71,443

राज्य वार निष्पादन निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल बंध्यीकरण	आईयूसीडी	पीपीआईयूसीडी	इंजेक्शन योग्य गर्भ निरोधक एमपीए
बिहार	3,95,560	4,08,752	1,76,427	2,40,759
छत्तीसगढ़	65,438	1,34,937	53,323	9169
हिमाचल प्रदेश	10,878	14,766	3,199	3043
जम्मू और कश्मीर	10,184	18,773	5,292	16,281
झारखंड	90,943	1,47,524	69,614	17,311
मध्य प्रदेश	3,05,919	4,16,418	2,23,949	75,293

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल बंध्यीकरण	आईयूसीडी	पीपीआईयूसीडी	इंजेक्शन योग्य गर्भ निरोधक एमपीए
ओडिशा	75,507	1,59,556	86,346	18,225
राजस्थान	2,46,065	4,74,142	2,28,819	1,32,598
उत्तर प्रदेश	2,74,029	8,24,491	2,99,643	1,54,437
उत्तराखंड	12,272	51,879	10,653	1873
अरुणाचल प्रदेश	785	2591	554	769
असम	35,090	1,34,088	55,653	24,787
मणिपुर	965	4196	952	56
मेघालय	2,374	3212	534	2886
मिजोरम	1391	1591	163	386
नगालैंड	1170	3797	202	122
सिक्किम	59	732	307	1153
त्रिपुरा	2551	1021	376	154
आंध्र प्रदेश	1,92,643	76736	10,026	1445
गोवा	2369	1021	121	536
गुजरात	2,89,139	568633	61,766	30,991
हरियाणा	59,480	199656	83,197	16,368
कर्नाटक	2,78,427	208065	77,553	27,130
केरल	73,422	40045	3,517	2082
महाराष्ट्र	3,93,443	410283	1,19,957	16,524
पंजाब	32,474	142337	41,620	7570
तेलंगाना	76,310	45249	9,345	4406
तमिलनाडु	2,32,690	322476	1,81,405	28,939
पश्चिम बंगाल	1,73,164	6,16,694	3,76,989	1,11,101
अंडमान और निकोबार द्वीप	713	588	318	467
चंडीगढ़	2,266	5780	3,048	2019
दादरा और नगर हवेली	1,139	533	161	1423
दमन और दीव	316	486	246	27
दिल्ली	17,146	73856	39,740	20034
लक्षद्वीप	49	3	1	17
पुडुचेरी	6639	2477	1483	1062
अखिल भारतीय	**33,63,009**	**55,17,384**	**22,26,499**	**9,71,443**

परिवार नियोजन के अधीन मुख्य कार्यनीतियां और उपलब्धियां

❖ **नए गर्भनिरोधकों की पसंद की शुरूआत**

➢ नए इंजेक्टेबल एमपीए निरोधकों (अंतरा कार्यक्रम के अधीन) और सेंटक्रोमन (छाया) हाल ही में निरोधकों के संग्रह में जोड़े गए हैं और देशभर में उपलब्ध हैं।

➢ वर्ष 2018–19 में देशभर में 9.71 लाख इंजेक्टेबल एमपीए की डोज़ दी गई और 14.42 लाख सेंटक्रोमन गोलियां वितरित की गई।

❖ **मिशन परिवार विकासः** सात उच्च ध्यान केंद्रित राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और असम) के 146 उच्च ध्यान केंद्रित जिलों जहां टीएफआर 3 या उससे अधिक है, में परिवार नियोजन सेवाओं तथा गर्भनिरोधकों हेतु पहुँच बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में मिशन परिवार विकास शुरू किया गया था।

एमपीवी जिलों में निम्नलिखित मुख्य कार्यनीतिक पहलें शुरू की गई::

➢ **आश्वस्त सेवाओं की प्रदानगीः**

- इंजेक्टेबल गर्भनिरोधकों की शुरूआत
- सभी प्रदानगी स्थलों पर पीपीआईयूसीडी सेवाओं का प्रसार
- एचएफडी प्रतिपूर्ति योजना के माध्यम से बंध्यीकरण सेवाओं का प्रसार
- स्वास्थ्य केंद्रों के प्रमुख स्थलों पर निरोध डिब्बे रखना
- आईईसी अभियान

➢ **प्रोत्साहन योजनाएं:**

- उप–केंद्रीय स्तर पर नए निरोधक उपलब्ध करवाए गए।
- **नई पहल किटः** आशा कर्मियों के माध्यम से नव–विवाहित दंपत्तियों को परिवार नियोजन किट वितरित की जा रही है। वर्ष 2018–19 में 4,18,575 नई पहल किट वितरित की गई।
- **सास बहू सम्मेलनः** जवान विवाहित महिलाओं और उनकी सासों के बीच संप्रेषण को प्रोत्साहन देने के लिए परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य पर मुक्त चर्चा कराई जाती है। वर्ष 2018–19 में 1,86,991 सास बहू सम्मेलन आयोजित किए गए।
- **सारथीः** समुदाय की दहलीज पर ही सूचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए परिवार नियोजन चल वैन। सारथी वैन्स ने 2018–19 में लगभग 11.41 लाख लाभार्थियों को परिवार नियोजन संबंधी परामर्श प्रदान करने और 203. 89 लाख निरोध वितरित किए तथा एमपीवी जिलों में 21.83 लाख ओरल पिल्स चक्र में सहायता की।

➢ फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मेनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम (एफपी–एलएमआईएस) के माध्यम से कॉमोडिटी सुरक्षा सुनिश्चित करना।

➢ क्लिनिकल आऊटरीच टीमों (सीओटी) के माध्यम से सेवा प्रदानगी बढ़ाना

- योजना के अंतर्गत दूरदराज, न्यूनसेवित और भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्यायित संगठनों की मोबाइल टीमों के माध्यम से परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- मिशन परिवार विकास में सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलों में क्लिनिकल आऊटरीच टीमें संबद्ध करने के लिए कड़ी वकालत की गई है और दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

❖ **परिवार नियोजन सामग्री की लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति चेन प्रणाली (एफपी–एलएमआईएस) का सुदृढ़ीकरण**

- गर्भनिरोधकों के वितरण का प्रबंधन और आपूर्ति चेन प्रबंधन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का समर्पित फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मेनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम (एफपी–एलएमआईएस) प्रचालन में है।

- यह राष्ट्रीय स्तर से लेकर आशा कर्मियों के स्तर तक की स्टॉक सूचना तक त्वरित पहुँच के लिए वेब आधारित, मोबाइल आधारित और एसएमएस आधारित एपलिकेशन है।
- यह सॉफ्टवेयर भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों कें 8 लाख आशा कर्मियों, 1.5 लाख एएनएम और 46,000 से अधिक केंद्रों को जोड़ता है।
- कुल 712 जिलों में से 685 जिलों में (96%), प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है, 544 (76%), जिलों में ग्राउंड स्टॉक प्रविष्टी की जा चुकी है, ऑनलाइन मांग 568 जिलों (80%) में की गई है, 337 जिलों (47%) में ऑनलाइन जारी कर दी है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एफपी–एलएमआईएस के माध्यम से 2018–19 की वार्षिक मांग प्रस्तुत कर दी है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (लक्षद्वीप व नागालैंड को छोड़कर) तथा 5 जीएमएसडी ने अपना स्टॉक अद्यतन कर लिया है।
- सभी राज्य वेयर हाऊसों तथा 97% जिला वेयर हाऊसों ने ऑनलाइन मांग भेज दी है।

❖ बंध्यीकरण सेवाएं

- ➢ वर्ष 2018–19 में 33.63 लाख बंध्यीकरण किए गए। अंतराल महिला बंध्यीकरण शेयर कुल बंध्यीकरण में अधिकतम रहा।
- ➢ वर्ष 2018–19, में 55,198 गर्भपात के उपरांत किए गए बंध्यीकरण रिपोर्ट किए गए।
- ➢ वर्ष 2018–19, में 732,108 प्रसवोत्तर बंध्यीकरण रिपोर्ट किए गए।

❖ प्रसवोत्तर आईयूसीडी (पीपीआईयूसीडी) सेवाएं

यह कार्यक्रम वर्ष 2010 में परिवार नियोजन की अपूर्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेषकर प्रसवोत्तर अवधि के तुरंत बाद, कार्यनीतिक तौर पर शुरू किया गया। पीपीआईयूसीडी की विधि की स्वीकार्यता देशभर में बढ़ रही है। वर्तमान समय में भारत पीपीआईयूसीडी सेवाओं में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है। देशभर में इसकी शुरूआत से लेकर कुल 78.4 लाख प्लस अंतर्वेशन रिपोर्ट किए गए हैं। वर्ष 2018–19 में 22.26 लाख पीपीआईयूसीडी अंतर्वेशन हुए हैं।

❖ गर्भपात उपरांत आईयूसीडी (पीएआईयूसीडी) सेवाएं

भारत सरकार गर्भपात उपरांत परिवार नियोजन पर जोर देती है। गर्भावस्था उपरांत गर्भनिरोधक सेवाएं जिनमें प्रसवोत्तर और गर्भपात उपरांत गर्भनिरोध दोनों को कवर करते हुए गर्भपात उपरांत परिवार नियोजन सेवाओं को मुख्यता सुदृढ़ बनाया गया है। पीएआईयूसीडी सेवाओं के अनुरूप थी पीएआईयूसीडी सेवाओं के लिए प्रोत्साहन पैकेज बनाया गया है जिसमें सेवा प्रदाता और आशा प्रोत्साहन तथा लाभार्थी प्रतिपूर्ति कवर किए गए हैं।

पीएआईयूसीडी सेवाएं सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। नर्सों और डॉक्टरों–दोनों का प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में देशभर में 80,165 पीएआईयूसीडी अंतर्वेशन रिपोर्ट किए गए।

❖ बंध्यीकरण सेवाओं के लिए संवर्धित प्रतिपूर्ति योजना

11 उच्च ध्यान केंद्रित राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, ओडिशा, असम, हरियाणा और गुजरात) में बंध्यीकरण सेवाओं के प्रसार और इन्हें सुकर बनाने के लिए वर्ष 2014 में संवर्धित प्रतिपूर्ति योजना को परिशोधित किया गया ताकि जीवनयापन और टांर्सपोर्ट की बढ़ती लागत का समाधान करने के साथ–साथ लाभार्थी की मजदूरी हानि को भी कम किया जा सके।

❖ प्रसवोत्तर आईयूसीडी (पीपीआईयूसीडी) तथा गर्भपात उपरांत आईयूसीडी (पीएआईयूसीडी) प्रोत्साहन योजनाः

आईयूसीडी अंतर्वेशन के लिए लाभार्थी को स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने के लिए एस्कॉर्ट करने के लिए सेवा प्रदाता तथा आशा कर्मियों को प्रत्येक अंतर्वेशन पर 150 रु. का भुगतान किया जाता है। इस योजना से

पीपीआईयूसीडी/पीएआईयूसीडी कार्यक्रम पर बल देने में सहायता मिली है। इस योजना में लाभार्थी को प्रति अंतर्वेशन/महिला को 300 रु. का प्रोत्साहन भी शामिल है।

❖ **परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना**

बंध्यीकरण प्रक्रिया के उपरांत इसके विफल होने के कारण या मृत्यु अथवा जटिलताओं की क्षतिपूर्ति की यह योजना भर पाई करती है। यह योजना प्रदाता/प्रत्यायित संस्थान को इन परिस्थितियों में मुकदमेबाजी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करती है। यह 2013 में परिशोधित की गई थी और अब यह सीधे राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्त पोषण से चलाई जा रही है।

❖ **आशा योजनाएं**

- **जन्म में अंतराल सुनिश्चित करना:** आशा कर्मियों के माध्यम से यह योजना पहले बच्चे और दो बच्चों के बीच अंतराल को प्रोत्साहित करती है। इसमें पहले बच्चे के जन्म में विलंब सुनिश्चित किया जाता है जिसमें विवाह के उपरांत दो वर्ष का अंतराल रखा जाता है और पहले तथा दूसरे बच्चे के बीच तीन वर्ष का अंतराल सुनिश्चित करने के साथ–साथ पहले अथवा दूसरे बच्चे के उपरांत सीमितता विधि अपनाई जाती है।
- **गर्भनिरोधकों की घर में आपूर्ति:** आशा कर्मियों के माध्यम से यह योजना पात्र दंपत्तियों को घर की दहलीज पर गर्भनिरोधकों की आपूर्ति सुनिश्चित करती है।
- **गर्भावस्था जांच किट:** इस योजना का लक्ष्य है कि आशा कर्मियों तथा उप–केंद्र स्तर पर गर्भावस्था के शीघ्र निदान और अन्य आरसीएच सेवाओं का लाभा उठाने के लिए गर्भावस्था जांच किट (पीटीके) उपलब्ध करवाई जाएं। पीटीके आशा औषधि किट का हिस्सा हैं और यह फील्ड में ग्राहकों को मुफ्त वितरित की जाती हैं।

❖ **बंध्यीकरण ग्राहकों को ड्रॉपबैक सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु योजना :**

यह योजना 2015 में शुरू की गई जिसमें बंध्यीकरण ग्राहकों को ड्रॉपबैक सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था है।

❖ **विश्व जनसंख्या पखवाड़ा मनाना**

➢ सभी राज्यों, जिलों और ब्लॉकों में 24 जून से 27 जुलाई तक विश्व जनसंख्या पखवाड़ा मनाया जाता है।

➢ इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 2018 की थीम थी ***"एक सार्थक कल की शुरूआत परिवार नियोजन के साथ,"***।

- विश्व जनसंख्या दिवस 2018 के दौरान कुल 1.39 लाख बंध्यीकरण, 2.58 लाख आईयूसी अंतर्वेशन, 1.01 लाख पीपीआईयूसी अंतर्वेशन तथा 0.70 लाख इंजेक्टेबल एमपीए लगाए गए।
- विश्व जनसंख्या दिवस 2018 पर अंतराल विधि अपनाने, पीपीआईयूसीडी जैसे नई अंतराल विधि अपनाने में वृद्धि, इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक एमपीए (अंतरा कार्यक्रम) और सेंटक्रोमन (छाया) में बढ़ोतरी हुई।

❖ **परिवार नियोजन में पुरुषों को प्रोत्साहित करने के लिए नसबंदी पखवाड़ा मनाना**

- राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए हर वर्ष कार्यशाला आयोजित की जाती है ताकि पुरुषों को इस ओर उन्मुख करने तथा उनकी प्रतिभागिता बढ़ाने हेतु कार्यनीति पर विमर्श किया जाता है। भारत के सभी राज्यों में नवंबर माह में नसबंदी पखवाड़े की शुरूआत व आयोजन किया गया।
- 2018 के पखवाड़े के दौरान कुल 8,195 नसबंदी की गई, 3,042 केंद्रों को नसबंदी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया 1,645 आईईसी मोबाइल वैन लगाई गईं, जिला स्तर पर 981, ब्लॉक स्तर पर 12,590 बैठकें की गई, 1,30,650 निरोध के डिब्बे 75,30,402 निरोध वितरित किए गए।

❖ **नया परिवार नियोजन मीडिया अभियान**

- नए परिवार नियोजन लोगों के साथ एक 360 डिग्री समग्र परिवार नियोजन अभियान शुरू किया गया था जिसके ब्रांड अम्बेसडर श्री अमिताभ बच्चन थे।
- मीडिया अभियान चरण 2 भी विकसित किया गया था और इसका सभी राज्यों में प्रसार किया गया। मल्टीमीडिया अभियान में टीवी स्पॉट्स, हॉर्डिंग्स, पोस्टर्स तथा वॉटसऐप संदेश शामिल थे। मांग सृजन में सुधार लाने के लिए इन्हें सभी राज्यों में प्रसारित किया गया।
- "हम दो" नामक रेडियो टॉक शो एक वर्ष के लिए जुलाई 2018 तक आकाशवाणी तथा इसके प्राइमरी चैनलों पर प्रसारित किया गया तथा सर्वसाधारण को परिवार नियोजन संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए www.humdo.nhp.gov.in नामक वेबसाइट विकसित की गई।

❖ **परिवार नियोजन में गुणवत्ता आश्वासन**

परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता मानकों को अपनाना सुनिश्चित करना मूल कार्यनीति हैं। परिवार नियोजन प्रभाग ने बंध्यीकरण सेवा में गुणवत्ता में सुधार लोने के लिए प्रयत्न किए हैं। वर्ष 2014 में परिवार नियोजन प्रभाग ने बंध्यीकरण सेवाओं के मानकों और गुणवत्ता आश्वासन की नियम पुस्तक को अद्यतन किया। सभी राज्यों और जिलों में गुणवत्ता आश्वासन समितियां स्थापित की जा चुकी हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार परिवार नियोजन प्रभाग राज्य और जिलावार विस्तरित समीक्षा और अभिविन्यासन कर रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य और जिला अधिकारियों की सक्रिय प्रतिभागिता के साथ ही राज्य विकास साझेदारों के सहयोग से राज्य स्तर पर सभी राज्यों में समीक्षा की गई है।

6.3 गर्भनिरोधकों का प्रापण और आपूर्ति

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में गर्भनिरोधक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, अन्य बातों के साथ सामाजिक विपणन स्कीम के तहत सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) के माध्यम से और निःशुल्क आपूर्ति स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गर्भनिरोधकों के वितरण और इनके उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। परिवार नियोजन के अंतर्गत लोगों को बच्चों की वांछित संख्या रखने और गर्भावस्थाओं के बीच पर्याप्त अंतराल

निर्धारित करने का अवसर दिया जाता है जिसे गर्भनिरोधक पद्धतियों के प्रयोग के माध्यम से हासिल किया जाता है। निःशुल्क आपूर्ति स्कीम के तहत गर्भनिरोधकों नामतः कंडोम, मुख सेव्य गोलियां (ओसीपी), इंट्रा–यूटीराइन डिवाइस (कॉपर–टी), आपातकालीन गर्भनिरोधक (ईसीपी), ट्यूबल रिंग, इंजेक्शन के जरिये गर्भनिरोधक (अंतरा कार्यक्रम), सेंद्रोमैन गर्भनिरोधक गोली नामतः छाया और गर्भावस्था परीक्षण किट (पी.टी. किट) का प्रापण और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इनकी आपूर्ति निःशुल्क की जाती है।

प्रापण प्रक्रियाः कंडोम के मामले में 75% और अन्य गर्भनिरोधकों के लिए 55% आवश्यकतापूर्ति के आदेश एचएलएल लाइफकेयर लि. (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के समक्ष रखे जाते हैं जिन पर उन्हें दी गई कैप्टिव स्थिति के अनुसार उनके द्वारा विनिर्मित किए जा रहे गर्भनिरोधक खरीदे जाते हैं। ओसीपी के मामले में, नामांकन आधार पर 15% ओसीपी आईडीपीएल से खरीदी जाती हैं। शेष मात्राओं के लिए, निजी फर्मों से प्रापण करने के लिए विज्ञापित निविदा इन्क्वायरी के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इंजेक्शन वाले गर्भनिरोधकों के मामले में इनका 100% प्रापण खुली निविदा के माध्यम से निजी फर्मों से किया जाता है।

गुणवत्ता आश्वासनः विनिर्माता स्टोरों को निरीक्षण के लिए खोलने से पहले इनका इन–हाऊस परीक्षण करते हैं। स्टोरों की स्वीकृति के समय, सभी बैचों के यादृच्छिक नमूने उठाए जाते हैं और इन्हें प्रमाणित प्रयोगशाला में जांचा जाता है और ओके रिपोर्ट मिलने पर स्टोरों को प्रेषिती के पास भेजा जाता है।

निःशुल्क आपूर्ति स्कीमः निःशुल्क आपूर्ति स्कीम के तहत, गर्भनिरोधक नामतः कंडोम, ओसीपी (माला–एन), इंट्रा यूटिराइन डीवाइस (कॉपर–टी), ट्यूबल रिंग, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली (ईसीपी), इंजेक्शन वाला गर्भनिरोधक, सेंद्रोमैन गर्भनिरोधक गोली, गर्भावस्था परीक्षण किट (पीटीके) खरीदे जाते हैं और राज्यों को इनकी आपूर्ति की जाती है ताकि जो स्वयं इनकी कीमत वहन नहीं कर सकते उन जरूरतमंद लोगों को इन्हें निःशुल्क प्रदान कराया जा सके। इनकी आपूर्ति औषधालयों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप–केंद्रों आदि के माध्यम से प्रयोक्ताओं को निःशुल्क कराई जाती है।

लगभग, वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान राज्यों के पास भेजने के लिए कंडोम (ब्रांड का नाम निरोध) और ओसीपी (ब्रांड का नाम माला–एन) की निम्नलिखित मात्राओं (सीएमएसएस द्वारा किए गए प्रापण सहित) का प्रापण किया गया:

मद	2017-18		2018-19	
	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)
कंडोम (मिलियन नग में)	526.84	83.33	00.00 **	00.00 **
ओसीपी (लाख साइकिल में)	275.25	15.74	394.37	15.88

***: वर्ष 2018–19 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जीएमएसडी और सीएमएसएस भंडागारों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध था।*

कॉपर-टी (ऑयूडी)

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत, कॉपर–टी–200बी की आपूर्ति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को की जा रही थी। वर्ष 2003–04 से, इंट्रा यूटीराइन डीवाइस का उन्नत वर्जन अर्थात कॉपर–टी–380–ए को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस कॉपर–टी को शरीर में लंबी अवधि तक लगाकर रखा जा सकता है और इस प्रकार यह गर्भधारण से लगभग 10 वर्षों की अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2012–13 से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्त करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा आईयूडी 375 (उन्नत वर्जन) भी खरीदा जा रहा है।

वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान राज्यों को आपूर्त करने के लिए कॉपर–टी (आईयूडी) की निम्नलिखित लगभग मात्रा का प्रापण किया गया था (इसमें सीएमएसएस द्वारा किया गया प्रापण भी शामिल है)

मद	2017-18		2018-19	
	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)
कॉपर–टी (लाख नग) (आईयूडी 380ए, आईयूडी 375)	22.62	5.43	64.33	15.39

ट्यूबल रिंग

वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान राज्यों को आपूर्त करने के लिए ट्यूबल रिंग की निम्नलिखित लगभग मात्रा का प्रापण किया गया था (इसमें सीएमएसएस द्वारा किया गया प्रापण भी शामिल है):

मद	2017-18		2018-19	
	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)
ट्यूबल रिंग (लाख पेयर)	14.57	2.61	12.39	2.24

आपतकालीन गर्भनिरोधक गोली (ईसीपी) (ब्रांड का नाम ईज़ी पिल)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में 'ईसीपी' (ई–पिल्स) की शुरूआत की थी। यह गर्भनिरोधक गोली असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने के 72 घंटों के भीतर प्रयोग की जाती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसकी निःशुल्क आपूर्ति की जाती है।

वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान राज्यों को आपूर्त करने के लिए ईसी पिल्स की निम्नलिखित लगभग मात्रा का प्रापण किया गया था (इसमें सीएमएसएस द्वारा किया गया प्रापण भी शामिल है)

मद	2017-18		2018-19	
	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)
ईसीपी (लाख पैक्स)	50.44	1.12	128	2.89

सेंटक्रोमन गर्भनिरोधक गोली (ब्रांड का नाम छाया)

सेंक्रोमैन गर्भनिरोधक गोली नामतः छाया को राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत निःशुल्क आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में प्रारंभ किया गया था। यह अब तक की सर्वोत्तम गैर–हॉर्मोनल, गैर–स्टीरॉयडल मुख सेव्य गर्भनिरोधक है जो सप्ताह में एक बार ली जाती है।

वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान राज्यों को आपूर्त करने के लिए सेंटक्रोमन गर्भनिरोधक की निम्नलिखित लगभग मात्रा का प्रापण किया गया था (इसमें सीएमएसएस द्वारा किया गया प्रापण भी शामिल है)

मद	2017-18		2018-19	
	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)
सेंटक्रोमन गर्भनिरोधक गोली (लाख स्ट्रिप)	23.99	5.86	170.27	41.85

इंजेक्शन वाला गर्भनिरोधक (ब्रांड का नाम अंतरा कार्यक्रम)

इंजेक्शन वाले गर्भनिरोधक को राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत निःशुल्क आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में प्रारंभ किया गया था। जिसमें गर्भाधारण को रोकने के लिए इंजेक्शन के जरिये मांसपेशी (आमतौर पर कूल्हे या भुजा के ऊपरी भाग) में प्रोजेस्टोजन शरीर में छोड़ा जाता है। एक बार लगभग गया इंजेक्शन तीन महीने के लिए कारगर रहता है।

मद	2017-18		2018-19	
	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)
इंजेक्शन वाला गर्भनिरोधक (लाख खुराकें)	27.00	7.43	00.00 **	00.00 **

***: वर्ष 2018–19 की जरूरत को पूरा करने के लिए जीएमएसडी में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध था।*

गर्भावस्था परीक्षण किट (पीटीके) (ब्रांड का नाम निश्चय)

गर्भावस्था परीक्षण किट को समय पर और पूर्वावस्था में गर्भावस्था का पता लगाने के लिए निःशुल्क आपूर्त किया जाता है। ये किटें घर पर ही आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं।

वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान राज्यों को आपूर्त करने के लिए सेंद्रोमैन गर्भनिरोधक की निम्नलिखित लगभग मात्रा का प्रापण किया गया था (इसमें सीएमएसएस द्वारा किया गया प्रापण भी शामिल है)

मद	2017-18		2018-19	
	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)
पीटी किट (लाख किट)	180.41	7.33	187.01	7.98

सामाजिक विपणन योजना

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1968 में कंडोम के लिए तथा 1987 में मुख सेव्य गोलियों के लिए एक सामाजिक विपणन कार्यक्रम शुरू किया गया था। योजना आयोग (अब नीति आयोग) और वित्त मंत्रालय की सलाह पर सामाजिक विपणन योजना के मूल्यांकन के लिए यूएनएफपीए द्वारा एक अध्ययन कराया गया था, जिसने दिसंबर 2015 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। यूएनएफपीए की सिफारिशों की मंत्रालय द्वारा जांच की गई और सामाजिक विपणन कार्यक्रम का पुनरुद्धार किया गया था। सामजिक विपणन संगठन (एसएमओ) ब्रांड गर्भनिरोधकों अर्थात् डीलक्स निरोध (सरकारी ब्रांड) के मूल्य को 5 नग का प्रति पैक 3/– रुपए से 5 नग के पैक के लिए 5/– रुपए किया गया और एसएमओ ब्रांड कंडोम के एक नग के लिए 2.00 रुपए से लेकर अधिकतम 3.33 रुपए प्रति नग (3 नग के पैक के लिए 10.00 रुपए) किया गया था। सरकारी ब्रांड की मुख सेव्य गोलियों के मूल्य तथा एसएमओ ब्रांड को भी संशोधित किया गया है अर्थात् माला–डी (सरकारी ब्रांड) को 3.00 रुपए प्रति चक्र से 5.00 रुपए प्रति चक्र किया गया है जबकि एसएमओ ब्रांड मूल्य रेंज को 10.00 रुपए प्रति चक्र पर बनाए रखा गया है। एसएमओ को सरकार द्वारा निर्धारित रेंज के अंदर ब्रांडेड कंडोम और ओसीपी के मूल्य को निर्धारित करने की छूट दी गई है। कंडोम और मुख सेव्य गोलियों को लोगों को विविध आउटलेट के जरिए उच्च छूट प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। संवर्धनात्मक और पैकेजिंग प्रोत्साहन, जिनकी एसएमओ को प्रतिपूर्ति की जा रही थी, को कंडोम और मुख सेव्य गर्भनिरोधक गोलियों (ओसीपी) के मूल्यों में संशोधन करने के बाद वापस ले लिया गया है। कंडोम और ओसीपी–दोनों का निर्गम मूल्य प्रति कंडोम 0.40 रुपए प्रति कंडोम तथा ओसीपी का 1.60 रुपए प्रति चक्र रखा गया है, जिसे एसएमओ द्वारा ऑर्डर देते समय उनके द्वारा 35 प्रतिशत का भुगतान करके जमा कराया जा सकता है और शेष 65 प्रतिशत की राशि का भुगतान उन पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए रिलीज़ ऑर्डर देते समय किया जाना

चाहिए। एसएमओ के साथ अब तीन वर्ष की अवधि के लिए करार किया जाता है ताकि एसएमओ अधिक लम्बी अवधि के लिए अपने कार्यकलापों की योजना बना सके। किसी निर्धारित वर्ष में मूल्य की खरीद के आधार पर छूट प्राप्ति की सीमा 70 प्रतिशत से 85 प्रतिशत हो सकती है। इन दोनों गर्भनिरोधकों को सामाजिक विपणन संगठनों (एसएमओ) के जरिए वितरित किया जाता है। वर्तमान में सात एसएमओ पंजीकृत है अर्थात् मैसर्स एचएलएल लाईफकेयर लि., मै. पीएचएस (आई), मै. पीसीपीएल, मै. जननी, मै. पीएसएस, मै. वर्ल्ड हैल्थ पार्टनर, मै. डीकेटी (आई)।

वर्तमान में, एक सरकारी ब्रांड (डिलक्स निरोध) और कंडोम के विभिन्न बारह एसएमओ ब्रांड (अर्थात् रक्षक, उस्ताद, जोश, मिथुन, स्टाइल, थ्रिल, कामाग्नी, सावन, मिलन, ब्लिस, अहसास और केएलवाई–मैक्स) को एसएमओ के जरिए बाजार में बेचा जाता है। इसी प्रकार मुख सेव्य गोलियों के लिए, एक सरकारी ब्रांड (माला–डी) और गोलियों के पांच एसएमओ ब्रांडों (अर्थात् अर्पण, ईक्रोज, अप्सरा, खुशी और स्मार्ट साइकिल) को बेचा जाता है।

एसएमओ ने वर्ष 2017–18 और 2018–19 के दौरान निम्नलिखित संख्या में बिक्री की:

कंडोम की बिक्री (मात्रा मिलियन में)

क्र.सं.	सामाजिक विपणन संगठन	2017-18	2018-19 *
1.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम	456.02	310.37
2.	परिवार सेवा संस्था, दिल्ली	00.00	08.00
3.	जननी, पटना	16.59	17.62
4.	जनसंख्या स्वास्थ्य सेवा (आई), हैदराबाद	24.50	60.00
5.	पशुपति केमिकल फार्मास्युटिकल लिमिटेड, कोलकाता	03.00	05.00
6	डीकेटी (आई), मुंबई	00.00	34.23
7.	वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर	00.00	00.00
योग		**483.21**	**435.22**

**: आंकड़े अनंतिम हैं*

मौखिक गर्भनिरोधक गोलियों की बिक्री (मात्रा लाख चक्रो में)

क्र.सं.	सामाजिक विपणन संगठन	2017-18	2018-19*
1	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम	131.89	32.50
2	परिवार सेवा संस्था, दिल्ली	6.25	9.68
3	जननी, पटना	21.17	19.86
4	जनसंख्या स्वास्थ्य सेवा, हैदराबाद	46.00	17.25
5	पीसीपीएल, कोलकाता	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6	विश्व स्वास्थ्य भागीदार, नई दिल्ली	00.00	00.00
योग		**205.31**	**79.29**

**: आंकड़े अनंतिम हैं*

सेंटक्रोमन (मौखिक गोली)

सरकार द्वारा दिसम्बर, 1995 से गर्भधारण रोकने के लिए एक नॉन स्टीराएडल साप्ताहिक मुख सेव्य गर्भनिरोधक गोली, सेंटक्रोमन (जो सहेली और नोवेक्स के नाम से जानी जाती है), को सामाजिक विपणन कार्यक्रम के तहत भी रियायती दरों पर दिया जा रहा है। यह साप्ताहिक मुख सेव्य गोली सीडीआरएल, लखनऊ के स्वदेशी अनुसंधान का परिणाम है। यह गोली अब बाजार में 3.125 रुपए प्रति गोली (8 गोलियों का एक पत्ता 25 रुपए) की दर पर उपलब्ध है। भारत सरकार उत्पाद और प्रोत्साहन रियायत के लिए 2.51 रुपए प्रति गोली की रियायत देती है।

6.4 केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस)

समय पर सामग्रियों की खरीद और वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अब एक स्वायत्त एजेंसी नामतः केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) स्थापित की गई है। वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान सीएमएसएस द्वारा निजी विनिर्माताओं से की गई गर्भ निरोधकों की खरीद की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:

गर्भनिरोधकों की बिक्री में सामाजिक विपणन कार्यक्रम का कार्य–निष्पादन

मदें	2017-18	2018-19*
कंडोम (मिलियन नग में)	483.21	435.22
मुख सेव्य गोली (सामाजिक विपणन)	205.31	79.29
सहेली (लाख गोलियों में)	321.76	0.04160

*: *आंकड़े अनंतिम हैं*

क्र.सं.	मदें	वर्ष 2017–18 में खरीदी गई संख्या	मूल्य (करोड़ रु. में)	वर्ष 2018–19 में खरीदी गई मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)
1.	**कंडोम (लाख नगों में)**				
	निःशुल्क आपूर्ति	114.11	17.49	00.00	00.00
	डीलक्स निरोध	00.00	00.00	06.00	00.85
	एसएमओ ब्रांड	43.50	6.09	26.50	3.71
	नाको के लिए निःशुल्क आपूर्ति	68.04	9.19	37.78	5.17
2.	**ओसीपी (लाख साइकिल में)**				
	निःशुल्क आपूर्ति	99.38	5.46	115.96	5.14
	माला–डी	00.00	00.00	00.00	00.00
	एसएमओ ब्रांड	04.28	00.16	00.00	00.00
3.	आपात गर्भनिरोधक (ईसी) गोलियां (लाख पैक में)	25.77	00.58	20.18	00.48
4.	आईयूसीडी / कॉपर–टी (लाख नग में)	00.00	00.00	27.37	11.52
5.	ट्यूबल रिंग (लाख जोड़े में)	12.01	2.17	05.57	01.01
6.	गर्भावस्था परीक्षण किट (पीटीके) (लाख नग / किट में)	91.91	3.78	72.41	03.17